

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडसरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 254/2025

अनवान :

1. सज्जन कुमार पुत्र नोरंगराय जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा । :-वादी

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी भादरा ।
2. मकसुद मोहम्मद खान पुत्र गुलाम मो० कायमखानी निवासी भादरा ।
3. मन्जू रानी पत्नी जयदीप गोस्वामी निवासी भादरा ।
4. मेजरअली पुत्र गुलाम मो० कायमखानी निवासी भादरा ।
5. मांगीलाल महिपाल पुत्र ओमप्रकाश महाजन निवासी भादरा ।
6. मोहम्मद आरीफ पुत्र गुलाम मो० कायमखानी निवासी भादरा ।
7. मोहरसिंह पुत्र जीराम जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा ।
8. युनसखान पुत्र गुलाम मो० कायमखानी निवासी भादरा ।
9. राजेश कुमार पुत्र श्याम सुन्दर महाजन निवासी भादरा ।
10. विनयकुमार पुत्र ओमप्रकाश महाजन निवासी भादरा ।
11. विनोद कुमार पुत्र मोहनलाल महाजन निवासी भादरा ।
12. विरेन्द्र कौशिक पुत्र अमरनाथ कौशिक निवासी भादरा ।
13. शेरसिंह पुत्र बिहारीलाल गोस्वामी निवासी जोगीवाला तहसील भादरा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी तथा वकील प्रतिवादीगण श्री विरेन्द्र जाखड़ व विनोद कारेला की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि रोही मौजा 10 बारानी के खाता संख्या 124/237 के मु० नं० 32, 33 की कुल किता 17 की कुल 3.363 है० बारानी कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज वादभूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार भादरा द्वारा पत्रांक भूअ./26/256 दिनांक 17.03.2026 पेश विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा रोही मौजा चक 10 बारानी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-



विभाजन : रोही मौजा चक 10 बारानी :-

1. सज्जन कुमार :- रोही मौजा चक 10 बारानी के मु० नं० 32 के किला नं० 7/1 की 0.064 है०, किला नं० 14/1 की 0.063 है० कुल 0.127 है० बारानी ।

2. अमित कुमार, मांगीलाल महिपाल, राजेश कुमार, विनोद कुमार :- रोही मौजा चक 10 बारानी के मु० नं० 32 के किला नं० 5 की 0.233 है०, किला नं० 6 की 0.233 है० किला नं० 15 की 0.230 है०, किला नं० 16 की 0.152 है० कुल किता 4 की कुल 0.848 है० बारानी।

3. शेरसिंह 0.127 है०, विनय कुमार 0.683 है०, मंजु रानी 0.688 है०, विरेन्द्र कौशिक 0.309 है०, मकसुद मोहम्मद 0.133 है०, मेजर अली 0.133 है०, मोहम्मद आरिफ 0.132 है०, युनस खां 0.133 है०, मोहरसिंह पुत्र जीराम 0.050 है० सा० भादरा खातेदार :- रोही मौजा चक 10 बारानी के मु० नं० 32 के किला नं० 7/2 की 0.189 है०, किला नं० 14/2 की 0.190 है०, किला नं० 4 की 0.253 है०, किला नं० 5 की 0.020 है०, किला नं० 6 की 0.020 है०, किला नं० 15 की 0.023 है०, किला नं० 17/1 की 0.063 है०, मु० नं० 33 के किला नं० 1/2 की 0.063 है०, किला नं० 2/1 की 0.189 है०, किला नं० 9 की 0.253 है०, किला नं० 10/2 की 0.113 है०, किला नं० 11 की 0.253 है०, किला नं० 12 की 0.253 है०, किला नं० 19 की 0.253 है०, किला नं० 20 की 0.215 है०, किला नं० 22/1 की 0.038 है० की कुल किता 16 का कुल रकबा 2.388 है० बारानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत अन्तिम विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग पढ़ा जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक २५.०३.२०२६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

